न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 148/2018

अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. मीनू पुत्री श्री कृष्ण लाल पत्नी जिन्तेन्द्र कुमार शर्मा जाति निवासी बी 173 वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली।
2. पुनम पुत्री कृष्ण लाल पत्नी शरद शर्मा जाति बाहाण निवासी डब्ल्यू 2 –870 रानी बाजार दिल्ली

.......वादीगण

बनाम

1. सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति ब्राहाण निवासी 114 मुकर्जीनगर, श्रीगंगानगर हाल 1428 सी गोल ग्रीन रवैन्यू अभयखण्ड पार्ट–2 इन्द्रपुरा
2. रामदेवी उर्फ देवी पत्नी तेजभान जाति ब्राहाण निवासी 114 मुकर्जीनगर श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

–:: उपस्थिति अभिभाषक ::–

उपस्थित–	श्री ओमप्रकाश बतरा	(वादी–1 व 2)
	श्री देवेन्द्र भारद्वाज	(प्रतिवदी –1)
	श्री सुधीर बिश्नोई	(प्रतिवादी– 2)

दिनांक 24.02.2021

– निर्णय –

वाद पत्र के अनुसार देवीकन्दन को भारत सरकार द्वारा चक 23 जैड तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 4 में 25 बीघा रकबा अलाट की गई थी उसके मरने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्सा यानी कि 12 बीघा 10 बिस्वा तथा वादीया संख्य 1 के नाम 1/6 हिस्सा तथा वादीया संख्या 2 के नाम 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/6 हिस्सा की खातेदारी सनद जारी की गई खातेदारी सनद के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्सा तथा वादीयान के नाम 2/6 हिस्सा दर्ज किया गया। राजस्व रिकार्ड में रकबा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के संयुक्त खाता में है। संयुक्त खाता होने के कारण राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में योजना बताई गई थी उनका लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि खाता मुश्तर्का होने की वजह से लगान व पानी की बारी में भारी परेशानी होती है हालांकि वादी व प्रतिवादीगण द्वारा घरू तार पर जमीन का बंटवारा किया हुआ है जिसमें वादी संख्या 1 के पास चक 23 जैड तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 4 में किला नम्बर 1/2 में 0.042 हैक. किला नम्बर 4/1 में 0.042 हैक.. किला नम्बर 3/2 में 0.042 हैक. किला नम्बर 4/2 में 0.042 हैक.. किला नम्बर 5/2 में 0.042 हैक. किला नम्बर 6/1 में 0.168 हैक.. किला नम्बर 7/1 में 0.168 हैक. किला नम्बर 8/1 में 0.169 हैक. किला नम्बर 9/1 में 0.169 हैक. किला नम्बर 10/1 में 0.169 हैक. कुल 1.054 हैक. रकबा वादीया संख्या 1 क हिस्सा में आता है तथा इतना ही रकबा वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड म दर्ज किया है। यह रकबा वादीया विभाजन में प्राप्त करना चाहती है। वादीया संख्या 2 पुनम के पास चक 23 जैड तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बाद नम्बर 3 के किला नम्बर 6/2 में 0.085 हैक. 7/2 में 0.085 हैक.., किला नम्बर 8/2 में 0.084 हैक., किला नम्बर 9/2 में 0.084 हैक., किला नम्बर 10/2 में 0.084 हैक.., किला नम्बर 11/1 में 0.126 हैक., किला बर 12/1 में 0.126 हैक.., किला नम्बर 13/1 में 0.126 हैक., किला नम्बर 14/1 में 0.177 रकबा वादीया के पास चक 23 में 11/1 में 0.126 हैक., किला नं. 12 में 0.126 हैक. किला नं. 13/1 में 0.126 हैक., किला नं0. 14/1 में 0.127 हैक.., किला नम्बर 15/1 में 0.127 हैक.., कुल 1.055 हैक. रकबा वादीया के कब्जा में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

चला आ रहा है तथा यही रकबा राजस्व रिकार्ड में वादीया संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा यहा वादीया के कब्जा में चला आ रहा है तथा यही रकबा वादाया संख्या या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 के पास चक 23 जैड तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1/1 का 0.210 हैक., किला नम्बर 2/1 का 0.211 हैक. किला नम्बर 3/1 का 0.211 हैक., किला नम्बर 4/1 का 0.211 हैक., किला नम्बर 5/1 का 0.211 हैक. कुल 1.054 हैक. रकबा प्रतिवादी के कब्जा में है तथा इतना ही रकबा प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यही रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावे तो वादीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रतिवादी संख्या 2 रामदेवी उर्फ देवी पत्नी तेजभान के पास चाके चक 23 जैड तह. श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 11/2 का 0.127 हैक., किला नम्बर 12/2 का 0.127 हैक., किला नम्बर 13/2 का 0.126 हैक., किला नम्बर 14/2 का 0.126 हैक., किला नम्बर 15/2 का 0.126 हैक., किला नम्बर 16 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक. कुल 3.162 हैक.. रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा यही रकवा उसके कब्जा में है तथा यह रकबा इसके नाम दर्ज कर दिया जावे तो वादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि जमीन का आपस में बँटवारा किया जावे ताकि राजस्व रिकार्ड में अपना अपना रकबा अलग हो सके जिससे राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में जो योजनाएं बनाई गई है उसका लाभ उठा सके तथा प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में यही कहा गया कि बँटवारा कर लेंगे लेकिन आज तक उन्होंने बटवारा नहीं किया उस पर वादीगण द्वारा कल रोज प्रतिवादीगण को कहा कि जमीन का बटवारा कर लेवे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने बटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया यही बनाए दावा है तथा वादीगण को अब कोर्ट में वादी प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई और विकल्प नहीं है। यही वादीया को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) वादी संख्या 1 मीनू पुत्री कृष्णलाल के नाम चक 23 जैड तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 1/2 में 0.043 हैक. किला नम्बर 2/2 में 0.042 हैक., किला नम्बर 3/2 में 0.042 हैक., किला नम्बर 4/2 में 0.042 हैक., किला नम्बर 5/2 में 0.042 हैक, किला नम्बर 6/1 में 0.168 हैक., किला नम्बर 7/1 में 0.168 हैक., किला नम्बर 8/1 में 0.168 हैक., किला नम्बर 9/1 में 0.169 हैक, किला नम्बर 10/1 में 0.169 हैक., कुल 1.054 हैक. वादीया संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अलग–अलग खोल कर अलग अलग किलेवाइज दर्ज किये जाने का डिक्री जारी की जावे व वादी संख्या 2 पूनम पुत्री कृष्ण लाल के नाम चक 23 जैड तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 6/2 में 0.085 हैक., किला नम्बर 7/2 में 0.085 हैक. किला नम्बर 8/2 में 0.084 हैक., किला नम्बर 9/2 में 0.084 हैक. किला नम्बर 10/2 में 0.084 हैक., किला नम्बर 11/1 में 0.126 हैक., किला नम्बर 12/1 में 0.126 हैक., किला नम्बर 13/1 में 0.126 हैक., किला नम्बर 14/1 में 0.127 हैक., किला नम्बर 15/1 में 0.127 हैक. कुल 1.055 हैक. वादीया संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अलग खाता खोलकर अलग अलग किले दर्ज किये जाने की डिकी जारी की जावे।

(ख) मुकदमा खर्चा दिलयाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

(ग) अन्य अनतोष जो न्यायालय उचित समझे वह वादीगण को दिलाया जावे।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिदीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ने दिनांक 25.10.2018 को इकबालिया जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया जसके तथ्यानुसार "जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पश नवेदन है कि यदि वादीगण का वाद बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है।"

बहस वकील उभ्यपक्ष की सुनी जाकर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदा(राजस्व), श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक भू.अ./2020/278 दिनांक 03.02.2020 को विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रेषित किया गया। वकील वादी द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन अनुसार वाद डिक्री किये जाने बाबत निवदेन किया गया एवम् लिखित अनापत्ति जाहिर की गई।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	रकबा का विवरण
1	वादी संख्या 1 मीनू पुत्री कृष्ण लाल	चक 23 जैड तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 1/2 में 0.043 हैक. किला नम्बर 2/2 में 0.042 हैक.., किला नम्बर 3/2 में 0.042 हैक., किला नम्बर 4/2 में 0.042 हैक., किला नम्बर 5/2 में 0.042 हैक, किला नम्बर 6/1 में 0.168 हैक.., किला नम्बर 7/1 में 0.168 हैक.., किला नम्बर 8/1 में 0. 168 हैक.., किला नम्बर 9/1 में 0.169 हैक, किला नम्बर 10/1 में 0.169 हैक., कुल 1.054 हैक. कृषि भूमि
2	वादी संख्या 2 पूनम पुत्री कृष्ण लाल	चक 23 जैड तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 6/2 में 0.085 हैक.., किला नम्बर 7/2 में 0.085 हैक., किला नम्बर 8/2 में 0.084 हैक., किला नम्बर 9/2 में 0.084 हैक. किला नम्बर 10/2 में 0.084 हैक.., किला नम्बर 11/1 में 0.126 हैक.., किला नम्बर 12/1 में 0.126 हैक.., किला नम्बर 13/1 में 0.126 हैक., किला नम्बर 14/1 में 0.127 हैक.., किला नम्बर 15/1 में 0.127 हैक. कुल 1.055 हैक. कृषि भूमि

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे एवम् उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक **24.02.2021** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner